संख्या-9/6146/62-2-2013-2/2(17)/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

3- मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिसम्बर 17 2013

विषय- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित की जा रही मध्यम गहरी बोरिंग योजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम,सिक्ख,ईसाई,बौद्व, पारसी एवं जैन) के सर्वागीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्व है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उदेद्श्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को समाजिक न्याय की परिधि में लाते हुए उन्हे न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सकें।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1533/52-3-2013-सा(30)/2013 दिनांक 24-08-2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सम्मलित है। लघु सिंचाई विभाग की मध्यम गहरी बोरिंग योजना भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। यह योजना लाभार्थीपरक है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-08-2013 तक भौतिक प्रगति को वार्षिक लक्ष्य से घटाते हुए अवशेष लक्ष्य में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मात्राकृत करते हुए जनपदवार फॉट निर्धारित की जाए। तदनुसार योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की जनपदवार फॉट **संलग्नक-क** पर संलग्न है। इसके आधार पर ही जनपदवार लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है।

3- योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते है तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4- उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति **संलग्नक-ख** पर दी जा रही है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वॉछित विवरण/सूचना जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को तथा शासन के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित विभाग परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक **संलग्नक-ग** पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1533/52-3-2013-सा(30)/2013 दिनांक 24-08-2013 में निर्धारित अन्य शर्तो/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 6146(1)/62-2-2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1-सचिव,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2-निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3-समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in